



फोन/Fax V.C. 248326 एच. 245299 एच.
 Register 245067 एच. 246012 एच.
 F.O. 248326 एच. 229964 एच.

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)
 Dr. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक (Ref. : लो०भा०वि०/संस्था/1223/2004

दिनांक/Date : 30-10-2004


सेवा में,
 प्राचार्य
 स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
 पट्टी, प्रतापगढ़ ।

महोदय,

कुलाधिपति के विशेष सचिव के पत्र संख्या- ई.स./5571 /बी० एस० ,
 दिनांक: 12-10-2004 द्वारा महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य
 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) के तुरंगत प्रावधानों के अधीन
 आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एस० पाठ्यक्रम में
 सौ सीटों को प्रवेश क्षमता के साथ स्वयंसेवा पोषित योजनामार्फत नियमित शर्तों
 के अधीन दिनांक 1-7-2004 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहस्र
 प्रदान कर दी है । महाविद्यालय को शासन/विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार
 प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

- 1- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को
 पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित
 समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।
- 2- संस्था राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 2051/सत्तर-2-200
 -16 1971/2002 , दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं समय
 समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी । इसकी जांच विश्व
 विद्यालय कभी भी करा सकता है ।
- 3- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा
 निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न
 किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तुरंगत
 प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की
 कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

ःशादीय,


 कुलाधिपति

- प्रतिनिधि नियमितित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित - 11/11/2004
- 1- समन्वयक, बी०एस० प्रवेश परीक्षा, डॉ० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद
 - 2- परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद ।
 - 3- सेवा विभाग, डॉ० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद ।

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डी राम मनोहर लोहिया अरब विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- लो०अ०वि०/सम्बद्धन/१०८१/२००४ दिनांक ४.६.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के सुसंगत प्रावधानों तथा संशोधन अधिनियम २००३ की धारा -५ के अधीन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पट्टी, प्रतापगढ़ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम में सी सीटी की प्रवेश क्षमता के साथ स्वतंत्र पोषित योजनातर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही निरीक्षण आख्या/प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
२. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
३. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८२१/सलार-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
४. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वॉण्ट तन्त्र शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(रमकेश कुमार जोशी)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुसंगत एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
 २. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
 ३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
 ४. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ४६-ए, शांतिनगर, तिलक नगर, जयपुर।
- प्रबन्धक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पट्टी, प्रतापगढ़

(रमकेश कुमार जोशी)
कुलाधिपति के विशेष सचिव